233

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

नि/3168/I/15

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण

इश्ताक पुत्र रहीम खां आयु 43 साल

जाति मुसलमान व्यवसाय खेती

निवासी ग्राम मानपुर तहसील व जिला--श्योपुर

विरुद्ध

1. ईद मोहम्मद पुत्र कालिया खां

निवासी ग्राम मानपुर तहसील व जिला--श्योपुर

2. मुकेश पुत्र रामचरण कोली

निवासी ग्राम मानपुर तहसील व जिला--श्योपुर

3. पार्वती पत्नी रामस्वरूप मीणा

4. [illegible] पुत्र छैलाल मीणा

दोनों निवासीगण ग्राम [illegible] तहसील व जिला

श्योपुर म.प्र.

श्री मुकेश [illegible] 21/9/15 को प्रस्तुत

21/9/15

अनुविभागीय अधिकारी जिला-श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/2013-14/अपील में पारित आदेश दिनांक 08-08-2015 के विरुद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक पुनरीक्षण आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत करता है--

21-9-2015

1. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय का विवादित आदेश अवैध एवं प्रकरण के अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, तहसील न्यायालय ने अनावेदक-1 एवं अन्य सहभूमि स्वामीयों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देकर आवेदक एवं अनावेदक-2, 3 एवं 4 के हित में नामांतरण का आदेश दिनांक 06-10-2008 को दिया था उक्त आदेश के विरुद्ध अनावेदक-1 ने दिनांक 18-01-2014 को अर्थात लगभग 6 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की जिसे समयावधि में होना मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेकाधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है.

3. यह कि, अनावेदक–1 द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा–5 के अंतर्गत दिये गये आवेदन पत्र का आवेदक ने उत्तर प्रस्तुत किया था एवं तर्क में बताया था कि अनावेदक–1 को तहसील न्यायालय ने विधिवत सूचना पत्र दिया था, जो तहसील प्रकरण के पृष्ठ क्रमांक–22 पर, अनावेदक-1 ने उपस्थित होकर अपना उत्तर भी प्रस्तुत किया था जो पृष्ठ क्रमांक–43 पर [illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./3168-एक/**2015** जिला श्योपुर

ईशाक विरूद्ध ईद मोहम्मद

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 22-08-19 | प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/2013-14/अपील में पारित आदेश दिनांक 09.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को कलेक्टर, के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br><br>(जे0 के0 जैन)<br>सदस्य | |